न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 226/2022

अनवान : –

1. सीताराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी भिरानी त0 भादरा।
2. सावित्री पत्नी स्व0 कृष्ण चन्द्र जाति कुम्हार निवासी भिरानी त0 भादरा।
3. प्रीति पुत्री स्व0 कृष्ण चन्द्र जाति कुम्हार निवासी भिरानी त0 भादरा।
4. अनुप कुमार पुत्र स्व0 कृष्ण चन्द्र जाति कुम्हार निवासी भिरानी त0 भादरा।

:- वादीगण

बनाम

1. पूनम चन्द पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवारी भिरानी तह0 भादरा।
2. राजकुमार पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवारी भिरानी तह0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:–प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति : वकील श्री विनोद शर्मा: वादीगण

वकील श्री सन्दीप शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक:** 11.01.23

संक्षेप मे दावा के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भिरानी के खाता सं0 617/574 के मु0न0 80 के कि0न0 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.2530है0, कि0न0 4/1 व 7/1 प्रत्येक किला की 0.0630है0, कि0न0 8 ता 10 प्रत्येक किला की 0.2530है0, कि0न0 11/1 की 0.1010है0, कि0न0 12/1 की 0.2280है0, कि0न0 13 की 0.2530है0, कि0न0 14/1 की 0.0630है0, कि0न0 17 की 0.0380है0 कुल किता 13 की 2.3270है0 बारानी वादभूमि में वादी सं0 1 के नाम 1/4 हिस्सा, वादीगण सं0 2 ता 4 प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 व 2 प्रत्येक के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी अपने हिस्से व कब्जे के अनुसार काश्त करते आ रहे है। लेकिन वाद भूमि का खाता संयुक्त होने के कारण वाद भूमि के कब्जा काश्त, सीव डोल व अन्य लगान इत्यादि की बाबत अकसर तनाजा होते रहते है। जिसे रफा करने के लिए वादी वाद भूमि का प्रतिवादी से उसके हिस्से व कब्जा के अनुसार मुताविक कब्जा काश्तानुसार खाता व लगान अलग अलग करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से जवावदावा पेश किया गया। पत्रावली में साक्ष्य पेश किया गया।

साक्ष्यवादी में वादी सीताराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। वादी ने दावा की पुष्टि में जमाबंदी रोही मौजा भिरानी सम्वत 2074–77 खाता सं0 617/574 प्रदर्श 1 नजरी नक्शा प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान इकबाल दावा प्रस्तुत कर अपने प्रकरण को समाप्त करना चाहते है। दावा के साथ वादीगण द्वारा रंगदार नक्शा

Scanned with CamScanner

पेश किया गया है। मुताबिक इकबाल दावा एवं प्रस्तुत रंगदार नक्शा में वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की वादभूमि को दर्शाया गया है। ऐसे में उक्त प्रकरण में अब विभाजन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नही है।

बहस वकील वादी व प्रतिवादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण व प्रतिवादी ने कथन किया की मुताबिक विभाजन व नक्शा मंजरी के बंटवारा हो गया है तथा इसी अनुसार खाता तकसीम किया जावें।

विद्वान अभिभाषक की बहस व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व रंगदार नक्शा तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत इकबाल दावा पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे पक्षकारान द्वारा इकबाल दावा पेश किये जाने के कारण दावा मे वर्णित विभाजन व रंगदार नक्शा मुताबिक वाद भूमि रोही भिरानी के खाता सं0 617/574 मे दर्ज वादभूमि का पक्षकारान के मध्य विभाजन एवं खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मोजा भिरानी

सीताराम पुत्र लिछमण जाति कुम्हार सा. देह :- रोही मौजा भिरानी के मु0न0 80 के कि0न0 4/1, 7/1, 14/1 प्रत्येक किला की 0.0630है0, कि0न0 3 की 0.0860है0 पूर्वी तरफ की, कि0न0 8 व 13 प्रत्येक किला की 0.0850है0 पूर्वी तरफ की, कुल रकबा 0.4450है0 बारानी

सावित्री पत्नी कृष्ण चन्द, प्रीति पुत्री कृष्ण चन्द्र, अनुप कुमार पुत्र कृष्ण चन्द्र ब0हि0ब0 जाति कुम्हार सा. देह :- रोही मौजा भिरानी के मु0न0 80 के कि0न0 1 की 0.2530है0, 2 व 9 प्रत्येक किला की 0.1210है0 पश्चिम तरफ की, कि0न0 10 की 0.2530है0, कि0न0 11/1 की 0.1010है0, कि0न0 12/1 की 0.1030है0 पश्चिम तरफ की कुल रकबा 0.9520है0 बारानी

पूनम चन्द पुत्र लिछमण जाति कुम्हार सा. देह :- रोही मौजा भिरानी के मु0न0 80 के कि0न0 2 व 9 प्रत्येक किला की 0.1320है0 पूर्वी तरफ की, कि0न0 3, 8, 13 प्रत्येक किला की 0.0190है0 पश्चिम तरफ की, कि0न0 12/1 की 0.1250है0 पूर्वी तरफ की, कि0न0 17 की 0.0190है0 पश्चिम तरफ की, कुल रकबा 0.4650है0 बारानी

राजकुमार पुत्र लिछमण जाति कुम्हार सा. देह :- रोही मौजा भिरानी के मु0न0 80 के कि0न0 3 की 0.1480है0 मध्य में से, कि0न0 8 व 13 प्रत्येक किला की 0.1490है0 मध्य में से, कि0न0 17 की 0.0190है0 पूर्वी तरफ से, कुल रकबा 0.4650है0 बारानी

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन पक्षकारान के विभाजित हिस्से पर शिफ्ट किया जावें। इसी इनुसार पर्चा डिक्री संलग्न कर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) RAS,
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner